बाल मित्र जिला टोंक

विद्यालय एवं पुलिस थानों पर बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम

12-13 सितम्बर 2017

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा टोंक जिले के मेहन्दवास एवं नगरफोर्ट थाने के विद्यार्थियों की बाल संरक्षण गतिविधियों के लिए 12-13 सितम्बर 2017 को थानों का भ्रमण एवं विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका उददेश्य बाल संरक्षण विषय पर बच्चों को जगरूक बनाया जाना है जिससे बच्चें अपने अधिकारों के लिए स्वयं भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सके।

विश्वास शर्मा, परामर्शद्, राजस्थान पुलिस अकादमी ने बताया कि कार्यक्रम का उददेश्य जिले में बाल संरक्षण के लिए बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है ताकि बच्चे किसी भी अवांछनीय स्थितियों में पुलिस से मदद ले सके, पुलिस के साथ संवाद कर पुलिस के प्रति व्याप्त धारणाओं को दूर करने एवं पुलिस थानों की कार्यप्रणाली समझाने के लिए थानों का भ्रमण एवं विद्यालयों में शिक्षण कार्य करवाये जा रहे है जिसके तहत विद्यार्थियों को बाल संरक्षण कानूनों, जेजे एक्ट, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल श्रम कानून से संबंधित जानकारी एवं बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

टोंक जिले के विद्यार्थियों को थानों की कार्यप्रणाली समझाने के लिए 12-13 सितम्बर 2017 को मेहन्दवास एवं नगरफोर्ट थाने के विद्यार्थियों को पुलिस थानें का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें विद्यार्थियों का बाल संरक्षण की समझ जानने के लिए बालकों से उनके अधिकारों से संबधित प्रश्न पूछे गये जिनके बारे में विद्यार्थियों को कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। थानाधिकारी, मेहन्दवास श्री ब्रजमोहन कविया एवं प्रभारी थानाधिकारी, नगर फोर्ट श्री कलीम मोहम्मद ने विद्यार्थियों को पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं एवं थाने की कार्यवाहियों के बारे में जानकारियां दी तथा विद्यार्थियों के मन में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए उनके सवालों के जवाब दिये। उन्होने अपने क्षेत्र में बाल संरक्षण के विभिन्न मुददों बाल श्रमिक व बंधुआ बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल शोषण व अत्याचार, बाल तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या एवं थाने में बच्चों के अधिकार प्रथम सूचना रिपोर्ट, बच्चों की

निरूद्धगी, मुसीबत में मदद के लिए पुलिस द्वारा किये जाने वाले प्रयास एवं यातायात नियमों आदि के बारे में जानकारियां दी गई। विद्यार्थियों को महिला एवं बाल डेस्क, चाइल्ड लाइन एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम के दूरभाष के बारे में जानकारी दी गयी।

मेहन्दवास एवं नगरफोर्ट थाना क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद किया गया। उनके साथ आत्म रक्षा के मुददों पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए बताया गया कि यौन हिंसा एवं दुष्कर्म की घटनाओं से बचने के लिए बालकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिये। हम स्वयं भी ऐसी घटनाओं के होने की संभावनाओं से अपनी सुरक्षा के प्रति सावचेत रहें। स्वयं के बचाव के लिए शारीरिक दक्षता एवं बुद्धि कौशल दोनों को काम में लेकर अप्रिय स्थिति होने पर सामना करें । ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने में अपने साथियों की भी मदद करनी चाहिये।

यदुराज शर्मा परामर्शद्, राजस्थान पुलिस अकादमी ने विद्यार्थियों को आत्म रक्षा के लिए सुझाव दिये गये। उन्हे बताया गया कि जब भी घर से निकले अपने परिवार जन को गन्तव्य स्थान एवं आने का समय बतायें। विद्यालय के आसपास जारी पुलिस गश्त व्यवस्था, पी.सी.आर वैन एवं मोटर साईकिल गश्ती दल की उपस्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी रखे एवं कही भी छेडखानी एवं मनचलों की हरकतें सामने आये तो तत्काल पुलिस गश्त, पुलिस कन्ट्रोल रूम में या पी.सी.आर. वैन इत्यादि को सूचित करें। किसी के साथ भी छेडखानी की घटना होने पर मूकदर्शक नहीं बनकर रहे उनके बचाव हेतु आगे आये एवं दूसरों को भी मदद के लिए पुकारे। आत्म रक्षा के लिए सेल्फ डिफेन्स कोर्सेज- ताईक्वान्डो, कूंग फू, इत्यादि में रूचि ले, सुरक्षा टिप्स सीखें एवं अन्य बालिकाओं को इसके बारे में जानकारी दें। मेहन्दवास एवं नगर फोर्ट पुलिस थानों पर 150 विद्यार्थियों ने भ्रमण एवं दोनों स्थानीय विद्यालयों के 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्था प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अन्त में शिक्षकों को सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।